पत्र संख्याः–15 / एम 1–128 / 2014 – 1466

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डा०एस०एम०करीम,
निदेशक(उच्च शिक्षा)

सेवा में,

कुलसचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
कुलसचिव, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय।
कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।
निदेशक, ललित नारायण आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना।

पटना, दिनांक 30/7/2014

विषय मानवाधिकार विषय पर राज्य के जनमानस को जागरूक करने हेतु छात्र–छात्राओं का चयन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1160 दिनांक 19.06.2014 का निदेश किया जाए। वांछित प्रतिवेदन आपके स्तर से अबतक अप्राप्त है। अंकनीय है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा दिनांक 17.07.2014 को आहूत बैठक में माह अगस्त 2014 के तृतीय सप्ताह में पटना विधि महाविद्यालय में चयनित छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु निर्णय लिया गया है। ध्यातव्य हो कि प्रथम चरण में पटना में अवस्थित सभी प्रमुख महाविद्यालयों (विधि महाविद्यालय, अभियंत्रण महाविद्यालय,प्रबंधन महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय सहित) से 300 विद्यार्थियों का चयन किया जाना है। चयनित विद्यार्थियों को मानवाधिकार विषय पर जागरूकता के निमित्त Capsule Course के माध्यम से प्रतिशक्षित किया जाएगा। ये विद्यार्थी जिलो में भ्रमण कर इस विषय पर लोगों को जागरूक करेंगें। विद्यार्थियों में न्यूनतम 50% छात्राएँ होंगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त विषयवस्तु को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों का शीघ्र चयन किया जाए तथा उनकी सूची विभाग में 14 अगस्त 2014 तक भेजी जाए। ताकि उसे पटना विधि महाविद्यालय को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु भेजा जा सके।

विश्वासभाजन,

Karim 30/7/14

(एस०एम०करीम)
निदेशक (उच्च शिक्षा)

राजेश

चिट्ठी